



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2634/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025

सामग्री अनुमोदन नवीनीकरण आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा संचालित कार्यों में उपयोग हेतु मुख्यालय के आदेश क्र. 1883 दिनांक 21.08.2019 द्वारा Magic & Ajooba मेक उत्पादों को 01 वर्ष के लिये अनुमोदित किया गया था। निर्माता द्वारा नये लॉन्च किये गये उत्पादों Textures, Water-Proofing Solutions, Tile & Block Fixing Solutions & Grouts Ready Finish Plaster & Mortars को जोड़ते हुये अनुमोदन नवीनीकरण करने आवेदन किया गया है। पूर्व में अनुमोदित उत्पाद के गुणवत्ता, आकार अथवा अन्य संबंध में किसी प्रकार की शिकायत वृत्त/संभाग कार्यालयों से मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक मानते हुये, प्राप्त आवेदन अनुसार निम्नलिखित उत्पाद का अनुमोदन नवीनीकरण एवं नये लॉन्च किये गये उत्पादों Textures, Water-Proofing Solutions, Tile & Block Fixing Solutions & Grouts Ready Finish Plaster & Mortars को जोड़ते हुये मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता इस आदेश के जारी दिनांक से 01 (एक) वर्ष होगी :-


क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	ZAR Metamorphose Combine Pvt. Ltd., Plot no. 12, Industrial Estate Rawabhata Raipur, C.G. 493221	Magic & Ajooba	Emulsion (Exterior, Interior), Synthetic Enamels (Exterior, Interior), Cement Based Putty & Paint (Exterior, Interior), Distemper (Exterior, Interior), Primer (Exterior, Interior), Textures, Water-Proofing Solutions, Tile & Block Fixing Solutions & Grouts Ready Finish Plaster & Mortars

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

Kumant
20/11/2025
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



TC & AI AE
Shival
04/12/25

//2//

क्र./2634/अ.आ./मुख्या./निविदा
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 26/11/2025

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
5. मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
6. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
7. ZAR Metamorphose Combine Pvt. Ltd., Plot no. 12, Industrial Estate Rawabhata Raipur, C.G. 493221

Kumari
अतिर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2667/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 21/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	HINDUSTAN STRUCTURAL PIPES LIMITED Regd. Office: Plot no. 4 & 9, Industrial, Area, Phase II, Raipur, Chattisgarh, India and Plot No. 98 & 99, Industrial Area, Phase-II, Siltara, Raipur (C.G.) 493111	KAMDHENU	Structural & Pipe

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कैंटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।


(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

Kumar
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//

TS & AIAE
Quinal
04/12/25




//2//

पृ.क्र. 2667 /एफ-
प्रतिलिपि :-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 21/11/2025

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
6. HINDUSTAN STRUCTURAL PIPES LIMITED, Regd. Office: Plot no. 4 & 9, Industrial, Area, Phase II, Raipur, Chattisgarh, India and Plot No. 98 & 99, Industrial Area, Phase-II, Siltara, Raipur (C.G.) 493111


अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2654/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	Hariom Ingots & Power Pvt. Ltd. Plot no. 59, 60 & 61, Light Industrial Area, Bhilai - 490026 Chhattisgarh (INDIA).	HARIOM & HARIOM EPOXYSHIELD	TMT Bars

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

[Signature]
अधीक्षक आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//



TS 2 A/AE
04/12/25


//2//

पृ.क्र. 2652/एफ-
प्रतिलिपि :-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
6. Hariom Ingots & Power Pvt. Ltd. Plot no. 59, 60 & 61, Light Industrial Area, Bhilai - 490026 Chhattisgarh (INDIA).


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2697/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

सामग्री अनुमोदन नवीनीकरण आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा संचालित कार्यों में उपयोग हेतु मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1964 दिनांक 21.06.2016 द्वारा PRINCE मेक उत्पादों को 01 वर्ष के लिये अनुमोदित किया गया था। निर्माता द्वारा PRINCE मेक के नये लॉन्च किये गये उत्पादों Storefit Water Tank, DWC & HDPE को जोड़ते हुये अनुमोदन नवीनीकरण करने आवेदन किया गया है। पूर्व में अनुमोदित उत्पाद के गुणवत्ता, आकार अथवा अन्य संबंध में किसी प्रकार की शिकायत वृत्त/संभाग कार्यालयों से मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक मानते हुये, प्राप्त आवेदन अनुसार निम्नलिखित उत्पाद का अनुमोदन नवीनीकरण एवं नये लॉन्च किये गये उत्पादों Storefit Water Tank, DWC & HDPE को जोड़ते हुये मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता इस आदेश के जारी दिनांक से 01 (एक) वर्ष होगी :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED, The Ruby, 8th Floor, 29, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar (W), Mumbai-40028, Maharashtra, India.	PRINCE	WS Pipe & Pipe Fittings Storefit Water Tank, DWC & HDPE


यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कंटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

Kumar
मेपर अधिकारी 11/2025

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

TC & All AE
Shweta
04/11/25




//2//

क्र. / 2697 / अ.आ. / मुख्या. / निविदा
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 27 / 11 / 2025

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग / बिलासपुर / रायपुर / नवा रायपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय / वृत्त रायपुर / नवा रायपुर नगर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण / विकास / विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
6. PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED, The Ruby, 8th Floor, 29, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar (W), Mumbai-40028, Maharashtra, India.


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cgghb.gov.in, email : cgghbho@gmail.com

क्र. 2606/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	Aarti Sponge and Power Limited, Aarti House, ashoka ratna, vidhan sabha road, Shankar nagar, Raipur (C.G.) 492007	SHOORVIR	TMT Bars

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

[Signature]
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//



TS & A/AE
Avinash
04/12/25

//2//


पृ.क्र. 2606 /एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/ दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
6. Aarti Sponge and Power Limited, Aarti House, ashoka ratna, vidhan sabha road, Shankar nagar, Raipur (C.G.) 492007.


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2616/एफ- /तकनीकी/2025 नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	Kanhaiya Industries, Office 402, Rajiv Gandhi Complex, Bal Ashram Compound, Kutchery Chowk, Raipur (C.G.)	KAMLESH	HDPE Pipe

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।


(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

(Signature)
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//


ISSUED
04/11/25



//2//

पृ.क्र. 2616/एफ- /तकनीकी/2025 नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2025
प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
5. मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
6. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई.टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
7. Kanhaiya Industries, Office 402, Rajiv Gandhi Complex, Bal Ashram Compound, Kutchery Chowk, Raipur (C.G.).


अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2615 /एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 26 /11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	Kamlesh Agrotech, Office 402, Rajiv Gandhi Complex, Bal Ashram Compound, Kutcheri Chowk, Raipur (C.G.)	KAMLESH	uPVC, SWR & Casing Pipe

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

Kumant
20/11/2025
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//

IS & AI AE
Anil
04/12/25




//2//

पृ.क्र. 2615 /एफ-
प्रतिलिपि :-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2025

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
5. मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
6. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
7. Kamlesh Agrotech, Office 402, Rajiv Gandhi Complex, Bal Ashram Compound, Kutchery Chowk, Raipur (C.G.).


अपर आयुक्त 2025

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2635/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	FLOWKEM Poly Plast Pvt. Ltd., 5, Shukun Hebitet, 3rd Floor, Prerna Park Society, Nr. L.G. Corner, Ramji Mandir Road, Maninagar, Ahmedabad-380008, Gujrat.	FLOWKEM	CPVC/UPVC/SWR/ Agriculture pipe and fitting, Column, UDS pipe & water storage Tank

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी केटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।


(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

Kumari
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//


Ts & AIAE
8/11/25
04/11/25



//2//

पृ.क्र. 2635/एफ- /तकनीकी/2025 नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025
प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/ वृत्त रायपुर / नवा रायपुर नगर/ दुर्ग /बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
6. FLOWKEM Poly Plast Pvt. Ltd., 5, Shukun Hebitet, 3rd Floor, Prema Park Society, Nr. L.G. Corner, Ramji Mandir Road, Maninagar, Ahmedabad-380008, Gujrat.


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2617/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 25/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	M/s. V7 Commercial Pvt. Ltd. Plat no. 21, ward-15, transport nagar dhamda naka, Durg (C.G.) 491001.	V7	Wire and Cable

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

(आदेशानुसार आयुक्त महो.)

OK

Kumar
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//


TS&AI/AE
Rajna
04/12/25



//2//

पृ.क्र. 2617/एफ- /तकनीकी/2025 नवा रायपुर, दिनांक 20/11/2025
प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जंगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
5. मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जंगदलपुर।
6. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
7. M/s. V7 Commercial Pvt. Ltd. Plat no. 21, ward-15, transport nagar dhamda naka, Durg (C.G.) 491001.


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 492002)

Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 2668/एफ-

/तकनीकी/2025

नवा रायपुर, दिनांक 21/11/2025

सामग्री अनुमोदन आदेश


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु निम्नानुसार उल्लेखित निर्माता/मेक के उत्पाद को पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है :-

क्र.	निर्माता का नाम एवं पता	मेक	उत्पाद
1	DEVI IRON AND POWER PVT. LTD. Village Tanda (Mohdi), Block-Dharsiwa, Raipur, Chhattisgarh-493221.	KAMDHENU	TMT BARS

यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील होगा :-

1. सामग्री की क्वालिटी, आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
3. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
4. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस. आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

(आदेशानुसार आयुक्त महो.)


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमशः //2//




TS & All AE
Signal
09/12/25

//2//

पृ.क्र. 2668/एफ- /तकनीकी/2025 नवा रायपुर, दिनांक 21/11/2025
प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग/बिलासपुर/रायपुर/नवा रायपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त रायपुर/नवा रायपुर नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि निर्माण/विकास/विद्युतीकरण कार्यों की एन.आई. टी. में उक्त मेक को अनुमोदित सामग्रियों की सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
6. **DEVI IRON AND POWER PVT. LTD.** Village Tanda (Mohdi), Block-Dharsiwa, Raipur, Chhattisgarh-493221.


अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर